प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं सपठित राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) का परंतुक यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2011 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क यथा संशोधित दिनांक 31 मार्च 2011, जो भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार को ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं, के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो 2017-20 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ-साथ वे भी जो विगत वर्षों में जानकारी में आए किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं बताए जा सके। जहां आवाश्यक है, वहां 2017-20 के बाद के मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2017) के अनुसार की गई है।